

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1082/गोपनीय/2024
दो-2-7/57

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2024

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री संजय कृष्ण जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला के निवेदनानुसार, उनकी सेवा-पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में, उनकी शैक्षणिक योग्यता में "Post Graduate Diploma in Labour Law" की उपाधि अंकित करने की अनुमति एतद्वारा प्रदान करता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

jk

पृष्ठांकन क्रमांक 1083/गोपनीय/2024
दो-2-7/57

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि:-

- 1 श्री संजय कृष्ण जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 85/न्या./2024, दिनांक 27-08-2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 रजिस्ट्रार (I.T.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 जे.जे.ए., गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को क्रमशः सेवा-अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

jk